

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2178]	नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 16, 2013/भाद्र 25, 1935	
No. 2178]	NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 16, 2013/ BHADRA 25, 1935	

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2013

का.आ. 2796(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1035 (अ), तारीख 7 मई, 2010 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या के तहत सं. 4ए तथा सारणी के स्तंभ (2) एवं (3) में क्रमशः प्रविष्टियों का प्रतिस्थापन किया जाएगा, अर्थात् :—

"4ए	कर्नाटक राज्य में बेलगाम - गोवा/कर्नाटक सीमा	किमी 9.50 से किमी 84.120".

[फा.सं. एनएच-14013/4/2013-पी एंड एम]

माया प्रकाश, उप सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3 उप-खंड (ii) के का.आ. सं. 1035 (अ), तारीख 7 मई, 2010 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे का.आ. सं. 1052(अ), तारीख 11 मई, 2012 द्वारा संशोधित किया गया था ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 16th September, 2013

S.O. 2796(E).— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 1035(E), dated the 7th May, 2010 namely:—

4001 GI/2013 (1)

In the said notification, the following entry 4A under the heading National Highway number and the corresponding entries thereto under columns (2) and (3) respectively shall be substituted:-

"4A	From Belgaum-Goa/Karnataka Border in the State	From km. 9.50 to km. 84.120".
	of Karnataka	

[F. No. NH-14013/4/2013-P&M]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary in Part II, Section 3, sub-section (ii) vide number S.O.1035 (E), dated the 7th May, 2010 and was amended vide number S.O. 1052 (E) dated 11th May, 2012.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2013

का.आ. 2797(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 दवारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए, भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड्क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थातु:--

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 11 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"11 राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4 [िकमी 0.0 से किमी 592.0 (बंगलौर से कर्नाटक/महाराष्ट्र सीमा) और किमी 216.914 से किमी 318.000 (बंगलौर-हौसकोटे-कर्नाटक/आंध्र प्रदेश सीमा) तक खंड को छोड़कर], राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4ए, [किमी 9.500 से किमी 84.120 (बेलगाम-गोवा/कर्नाटक सीमा) तक खंड को छोड़कर], राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 9 [किमी 348-800 से किमी 423.800 (महाराष्ट्र/कर्नाटक सीमा) तक खंड को छोड्कर], राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 13 [(किमी 30.340 से किमी 418.600 (शोलापुर-बीजापुर-ह्ंगुंड-हौजपेट चित्रदुर्ग खंड) किमी 743.900 से किमी 745.000 (मरोली जंक्शन से नंध्र जंक्शन) तक खंड को छोड़कर], राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 17 [(किमी 3.700 से किमी 17.200, किमी 93.700 से किमी 376.700 (गोवा - कर्नाटक सीमा - कुंदरपुर - सूरतखल - नंथूर - मंगलौर -कर्नाटक/केरल सीमा) तक खंड को छोड़कर], राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 48 [(किमी 28.200 से किमी 189.500 (राष्ट्रीय राजमार्ग 4 पर नीलमंगला जंक्शन के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग 48 के देवीहल्ली से हासन) और किमी 328.000 से किमी 345.000 (बी. सी. रोड से पादिल जंक्शन) तक खंड को छोड़कर], राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 63 [(किमी 280.300 से किमी 375.740 (हौजपेट - बेल्लारी - कर्नाटक /आंध्र प्रदेश सीमा खंड) तक खंड को छोडकर। राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 67, राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 206, राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 207 [(किमी 58.300 से किमी 139.180 (हौजपेट - दोबासपेट खंड) तक खंड को छोड़कर], राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 209, राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 212, राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 218 [(जेवारगी -गुलबर्गा को जोड़ने वाले बीजाप्र विस्तार को शामिल करते हुए और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 9 पर होमनाबाद के निकट), राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 234, और नई रारा सं. 150 और नई रारा सं. 167 के उतने भाग जो कि कर्नाटक राज्य में अवस्थित हैं।

सरकार".

कर्नाटक

[फा.सं. एनएच-14013/4/2013-पीएंडएम] माया प्रकाश, उप-सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना को भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड-3 उप-खंड (ii) के सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 दवारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार का.आ. 2411 (अ), तारीख 7 अगस्त, 2013 द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th September, 2013

S.O. 2797(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:—

In the Schedule to the said notification, for serial number 11 and the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely: -

"11 So much of National Highway No. 4 [excluding from Km. 0.0 to Km. 592.0 (Bangalore State to Karnataka /Maharashtra Border) and from Km. 216.914 to Km. 318.000 (Bangalore-Government of Hoskote-Karnataka/Andhra Pradesh Border)], National Highway No. 4A [excluding Karnataka." from km. 9.500 to km. 84.120 (from Belgaum-Goa/Karnataka Border)], National Highway No. 9 [excluding from Km. 348-800 to Km. 423.800 (Maharastra/Karnataka Border), National Highway No. 13 [excluding from Km. 30.340 to Km. 418.600 (Solapur-Bijapur-Hungund-Hospet Chitradurga section) and from Km. 743.900 to Km. 745.000 (Maroli Junction to Nanthoor Junction)], National Highway No. 17 [excluding from Km. 3.700 to Km. 17.200, Km. 93.700 to Km. 376.700 (Goa/Karnataka Border-Kundarpur-Surathkal-Nanthoor-Mangalor-Karnataka/Kerala Border)], National Highway No. 48 [excluding from Km. 28.200 to Km. 189.500 (Nelamangala Junction on National Highway 4 with National Highway 48 to Devihalli to Hassan) and from Km. 328.000 to Km. 345.000 (B.C Road to Padil junction)], National Highway No. 63 [excluding from Km. 280.300 to Km. 375.740 (Hospet-Bellary-Karnataka/Andhra Pradesh Border section)], National Highway No. 67, National Highway No. 206, National Highway No. 207 [excluding Km. 58.300 to Km. 139.180 (Hoskote-Dobbaspet Section)], National Highway No. 209, National Highway No. 212, National Highway No. 218 (including extension from Bijapur and connecting Jevargi-Gulbarga and terminating at its junction with National Highway 9 near Homnabad), National Highway No. 234, new NH No. 150 and New NH No. 167 as are situated within the State of Karnataka.

[F. No. NH-14013/4/2013-P&M]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, in Part II, section 3, sub-section (ii) vide number S.O. 1096 (E), dated the 4th August, 2005 and last amended vide number S.O. 2411 (E), dated the 7th August, 2013.